

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

संख्या : 17/394

रामदेव आत्मज धन्ना लाल जी आयु 21 वर्ष जाति मेघवाल निवासी खेडली महादीत थाना सीमलिया तहसील दीगोद जिला कोटा

—अपीलान्ट

बनाम

1. श्योप्रकाश पुत्र छीतर लाल आयु 36 वर्ष जाति मेघवाल ।
2. रामभरोसी पुत्री श्री छीतर लाल पत्नी रमेश जाति मेघवाल निवासी चौमा तहसील दीगोद जिला कोटा ।
3. सुगना बाई पुत्री श्री छीतरलाल पत्नी रामालाल निवासी झालीपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
4. पुष्पाबाई बेवा छीतर लाल आयु 70 वर्ष जाति मेघवाल निवासी झालीपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा ।

—रेस्पोंडेन्ट

उपस्थित :- 1. श्री दीपक साहू, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री रामकिशन वर्मा, अभिभाषक, रेस्पोंडेन्ट की ओर से ।

निर्णय


दिनांक: 14.02.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.06.2017 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है ।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 एवं 188 के अन्तर्गत ग्राम खेडली महादीत तहसील दीगोद जिला कोटा की गैर खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 311 की रकबा 0.83 हैक्टर भूमि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री करने का निवेदन किया ।

अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को राजस्व लोक अदालत कैम बमोरी में रखते हुए अपने निर्णय डिक्री दिनांक 01.06.2017 के द्वारा वादी का वाद खारिज कर दिया ।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.06.2017 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री निरस्त करने का निवेदन किया ।


5. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।
6. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत वाद को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए पक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही निर्णित कर दिया । जबकि राजस्व लोक अदालत में केवल ऐसे प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें पक्षकारान सहमत हों और सहमति के आधार पर अपने वाद को निर्णित करवाना चाहते हों परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान सहमत नहीं थे फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारान की बिना सहमति के ही उक्त वाद को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए निर्णित कर दिया जो लोक अदालत की भावना के विरुद्ध होने से उक्त निर्णय निरस्तनीय है । प्रस्तुत वाद से अपीलान्ट के स्वत्व अधिकारों का निर्धारण होना था जिसमें प्रतिवादीगण रेस्पोजेन्ट से जवाबदावा आदि प्राप्त किये बिना ही उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.06.2017 निरस्त फरमाया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को गुणावगुण के आधार पर निर्णय करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जावे ।
7. रेस्पोजेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट ने गैर खातेदारी की भूमि की वसीयत के आधार पर प्रस्तुत किया है जबकि गैर खातेदारी की भूमि दान, वसीयत नहीं की जा सकती । अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारान की सहमति के आधार पर राजस्व लोक अदालत में रखते हुए प्रकरण का निस्तारण किया है जिसमें पक्षकारान भी सहमत थे इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.06.2017 बहाल रखा जावे ।
8. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलान्ट ने अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का वाद प्रस्तुत किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व लोक अदालत में रखते हुए निर्णित कर दिया । जबकि प्रस्तुत प्रकरण में वादी के स्वत्व अधिकारों का निर्धारण होना था ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को प्रस्तुत प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर ही किया जाना चाहिए था । वैसे प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान सहमत नहीं थे और सहमति के आधार पर निर्णय नहीं चाहते थे । राजस्व लोक अदालत में केवल पक्षकारान की सहमति के आधार पर ही निर्णय पारित किये जाते हैं । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है



पूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।

उक्त: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.06.2017 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए दावा एवं जवाबदावा के आधार पर वाद-विवादक बिन्दु कायम कर प्रत्येक वाद-विवादक बिन्दु पर पक्षकारान की साक्ष्य आदि ली जाकर गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान दिनांक 28.03.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

10. निर्णय आज दिनांक 14.02.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।


(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा